| हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए |
|---|---|

राजस्व वाद संख्या 248 / 2023 उनवांन धाडमल बनाम कन्हैया

22/8/25 पत्रावली पेश हुई वकील वादी उप०। वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री और प्रमाणपत्र तैयार कर पत्रावली में शामिल किये गये। अग्रिम कार्यवाही हेतु पत्रावली 16/9/25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

16/9/25
पत्रावली पेश हुई। आज बार एसो. किशनगढ़ द्वारा कार्य का स्थगन रखा गया। अतः पत्रावली P.O. सा. के समक्ष दि. 29/9/25 को पेश हो।

29/9/25 पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उप.।
पीठासीन अधिकारी SIR में व्यस्त है।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार वास्ते बटवारा प्रस्ताव दिनांक 11/11/25
को पेश हो।

11/11/25
पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उप.। बटवारा प्रस्तावना —
पीठासीन अधिकारी SIR में व्यस्त है।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार वास्ते ब.प्र. दिनांक 3/2/26
को पेश हो।

03/2/26 पत्रावली पेश हुई वकील वादी उप.। वकील वादी की बंटवारा प्रस्ताव पर बहस सुनी गई।
वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से तैयार कर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

# डिक्री

## (आर्डर 20, रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)
## (Civil Procedure Code Appendix D-1)
## अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम किशनगढ़ (अजमेर)
## व इजलास श्री रजत यादव (आई.ए.एस.)

चांदमल पुत्र भंवरलाल जाति बागरिया आयु. 55 वर्ष निवासी पुराना शहर किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान

–वादी

बनाम

1. करणविजय सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह जाति बारेठ आयु, बालिग वर्ष निवासी उदयपुरखुर्द तहसील किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान
2. प्रेमकंवर पत्नी राजेन्द्र सिंह जाति बारेठ आयु बालिग वर्ष निवासी उदयपुरखुर्द तहसील किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान
3. नोरतीदेवी पत्नी नन्दा जाति बागरिया आयु. 58. वर्ष निवासी पुराना शहर किशनगढ़ तहसील किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान
4 मुकेश पुत्र नन्दा जाति बागरिया आयु. 21. वर्ष निवासी पुराना शहर किशनगढ तहसील किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान
5. रोहित पुत्र नन्दा जाति बागरिया आयु 25 वर्ष निवासी पुराना शहर किशनगढ तहसील किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान
6 सुरज पुत्र नन्दा जाति बागरिया आयु. 31 वर्ष निवासी पुराना शहर किशनगढ तहसील किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान
7. मैरी पुत्री नन्दा जाति बागरिया आयु बालिग वर्ष निवासी पुराना शहर किशनगढ तहसील किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान
8. अमृता पुत्री नन्दा जाति बागरिया आयु. 18 वर्ष निवासी पुराना शहर किशनगढ़ तहसील किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान
9. रंगा पुत्री नन्दा जाति बागरिया आयु 28 वर्ष निवासी पुराना शहर किशनगढ़ तहसील किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ़, जिला अजमेर, राजस्थान।
11. बैंक ऑफ बडौदा शाखा सिलोरा, जिला अजमेर राजस्थान
12. यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा किशनगढ, जिला अजमेर, राजस्थान ।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् : 53, 188 आर.टी.एक्ट 1956
मुकदमा नम्बर : 248 / 2023
निर्णय दिनांक : 03.02.2026 ।

न्यायालय हाजा में वकील वादी की उपस्थिति में वाद पत्र की बहस सुनने के बाद आज तारीख 03.02.2026 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी श्री रजत यादव (आई.ए.एस.) के समक्ष निपटारे के लिये पेश होने पर वादी का वाद, प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार स्वीकार कर ग्राम उदयपुरखुर्द पटवार हल्का उदयपुर खुर्द तहसील किशनगढ स्थित भूमि खसरा संख्या 175 रकबा 1.4[illegible]8 हैक्टेयर भूमि का मौका कमिश्नर तहसीलदार किशनगढ द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव के अनुसार अग्रलिखित तालिका के अनुसार बंटवारा किया जाता है, तहसीलदार रिपोर्ट एवं नजरी नक्शा अंतिम डिक्री का भाग होगें:–

| क्र.सं | नाम खातेदार | खसरा संख्या | रकबा हैक्टैयर में | किस्म | रंग |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | चांदमल पुत्र भंवरलाल हिस्सा पूर्ण जाति बागरिया सा. पुराना शहर किशनगढ राहिन पूर्ण खाता यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा किशनगढ खातेदार | 175 / 1 | 0.4746 | बंजर 01 | गुलाबी |

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | कुल किता 01 | | | कुल रकबा 0.4746 हैक्टैयर | |
| | करणविजय सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह हिस्सा 1/2 प्रेम कंवर पत्नी राजेन्द्र सिंह हिस्सा 1/2 जाति बारेठ सा. देह खातेदार राहिन बैंक ऑफ बडौदा शाखा सिलोरा | 175/3 | 0.4746 | बंजर01 | नीला |
| | कुल किता 01 | | | कुल रकबा 0.4746 हैक्टैयर | |
| 3. | नोरती देवी पत्नी नन्दा, रोहित मुकेश, सूरज पुत्रगण नन्दा एवं अमृता, रंगा, मैरी पुत्रिया नन्दा समस्त जाति बागरिया हिस्सा पूर्ण हि.ब. सा. पुराना शहर किशनगढ | 175/2 | 0.4746 | बंजर01 | नांरगी |
| | कुल किता 01 | | | कुल रकबा 0.4746 हैक्टैयर | |

असप्त मेरे द्वारा आज दिनांक 03.02.2026 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)
## राजस्व वाद संख्या 248/2023

चांदमल पुत्र भंवरलाल जाति बागरिया आयु. 55 वर्ष निवासी पुराना शहर किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान

—वादी

बनाम

1. करणविजय सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह जाति बारेठ आयु, बालिग वर्ष निवासी उदयपुरखुर्द तहसील किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान
2. प्रेमकंवर पत्नी राजेन्द्र सिंह जाति बारेठ आयु बालिग वर्ष निवासी उदयपुरखुर्द तहसील किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान
3. नोरतीदेवी पत्नी नन्दा जाति बागरिया आयु. 58. वर्ष निवासी पुराना शहर किशनगढ़ तहसील किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान
4 मुकेश पुत्र नन्दा जाति बागरिया आयु. 21. वर्ष निवासी पुराना शहर किशनगढ तहसील किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान
5. रोहित पुत्र नन्दा जाति बागरिया आयु 25 वर्ष निवासी पुराना शहर किशनगढ तहसील किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान
6 सुरज पुत्र नन्दा जाति बागरिया आयु. 31 वर्ष निवासी पुराना शहर किशनगढ तहसील किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान
7. मैरी पुत्री नन्दा जाति बागरिया आयु बालिग वर्ष निवासी पुराना शहर किशनगढ तहसील किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान
8. अमृता पुत्री नन्दा जाति बागरिया आयु. 18 वर्ष निवासी पुराना शहर किशनगढ़ तहसील किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान
9. रंगा पुत्री नन्दा जाति बागरिया आयु 28 वर्ष निवासी पुराना शहर किशनगढ़ तहसील किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ़, जिला अजमेर, राजस्थान।
11. बैंक ऑफ़ बडौदा शाखा सिलोरा, जिला अजमेर राजस्थान
12. यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा किशनगढ, जिला अजमेर, राजस्थान ।

प्रतिवादीगण

<u>निर्णय वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

दिनांकः.03.02.2026

उपस्थितः श्री भवानी सिंह वादी अभिभाषक

यह वाद वादी की ओर से वकील श्री भवानी सिंह द्वारा अन्तर्गत धारा 53, 188 राज.का.अधि.के तहत पेश किया गया ।वादी के अधिवक्ता की ओर से वाद में दावा किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 के सहखातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 175 रकबा 1.4238 हैक्टेयर वाके ग्राम उदयपुरखुर्द पटवार हल्का उदयपुरखुर्द भू अभिलेख निरीक्षक सिलोरा तहसील किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान स्थित है। वाद पैरा संख्या 1 मे वर्णित भूमि के वादी संख्या 1 हिस्से 1/3 के, प्रतिवादी संख्या 3 से हिस्से 1/21 इस प्रकार से संयुक्त रूप से हिस्से 1/3 के तथा प्रतिवादी संख्या 1 हिस्से 1/6 के. प्रतिवादी संख्या 2 हिस्से 1/6 के सहखातेदार काबिज काश्तकार है। वाद पैरा संख्या 1 में वर्णित भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादी 1 से 9 के मध्य नींव सींव से अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी बिभाजन नहीं होने के कारण उपरोक्त भूमि के काश्त उपज बंटवारे सहित उपरोक्त भूमि के विकास, सुधार कार्य में बाधा उत्पन्न होती है। वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से 6 को दिनांक 15.08.2023 को आपसी सहमति से अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी विभाजन किये जाने बाबत आग्रह किया किन्तु सहमति से विभाजन करवाये जाने मे उदासिन हो गये तथा उन्होने वादी को यह धमकी दी कि वह उपरोक्त वाद पैरा संख्या में वर्णित अविभाजित कृषि भूमि का एक विशिष्ट अच्छा भाग नीव सीव के विभाजन के अन्यत्र खुर्द बुर्द कर देंगे तथा वादी को उसके हिस्से की भूमि पर शान्तिमय तरीके से काश्त करने नहीं देंगे। वाद पैरा संख्या 1 में वर्णित भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 9 के मध्य

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

खातेदारी की होकर अविभाजित है। ऐसी स्थिति मे जब प्रतिवादी आपसी सहमति से नींव सींव से अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी विभाजन करवाये जाने मे इच्छुक नहीं है तो वादी के लिए उपरोक्त वाद पैरा संख्या 1 में वर्णित भूमि मे जमाबन्दी मे दर्ज हिस्से अनुसार वादी को स्वयं की भूमि विभाजन करवाये जाने का पूर्ण विधिक अधिकार है। प्रस्तुत वाद हेतु बाद कारण प्रतिवादी द्वारा सहमति से अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी का विभाजन करवाये जाने मे उदासीनता व्यक्त किये जाने से उत्पन्न होकर आज तक सतत है जबकि राज्य सरकार द्वारा समय समय इस बाबत निर्देशात्मक श्रेणी के परिपत्र अभिसूचनाएँ, निर्देश पारित किये है कि सहखातेदारी की भूमि का विभाजन किया जाना आवश्यक है ताकि अनरगल विवाद ना हो। श्रीमान से वादी की प्रार्थना है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 9 के मध्य ग्राम उदयपुरखुर्द पटवार हल्का उदयपुरखुर्द भू अभिलेख निरीक्षक सिलोरा तहसील किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान के खसरा संख्या 175 रकबा 1.4238 हैक्टेयर मे वादी के निहित हिस्से 1/3, प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 9 के संयुक्त रूप से निहित 1/3 हिस्से एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक हिस्से 1/6 संयुक्त रूप से हिस्से 1/3 के होने बाबत विभाजन कर अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी विभाजन कर पृथक पृथक खाता खसरा कायम किये जाने की डिक्री वादी के पक्ष मे एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 9 के विरूद्ध पारित की जावे। प्रतिवादी को वादपदो के स्थिरीकरण के लिये प्रतिवादी को सम्मन (आदेश 5 नियम 1 व 5 व्यवहार प्रक्रिया संहिता) के तहत् नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 01 से 12 बावजूद तामिल के अनुपस्थित रहने से दिनांक 20.08.2015 तक प्रतिवादी संख्या 01 से 12 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई। प्रकरण में सुनियोजित पक्षकार सं० 1 लगायत 09 जो वादग्रस्त भूमि के सहखातेदार है बावजूद तामिली के अनुपस्थित रहने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई जिसके कारण पत्रावली में तनकियात बिन्दू कायम नहीं किये गये तथा वादी की ओर से उपस्थित साक्षी का साक्ष्य दर्ज की गई। दिनांक 20.08.2025 को वादी की साक्ष्य ली गई तथा दस्तावेज पर प्रदर्श का अंकन करवाया गया जो इस प्रकार है:— प्रदर्श 01 जमाबन्दी ग्राम उदयपुरखुर्द खसरा संख्या 175 रकबा 1.4328 हैक्टेयर, प्रदर्श 02 राजस्व नक्शा खसरा संख्या 175, प्रदर्श 03 खसरा गिरदावरी खसरा संख्या 175।
थ्दनांक 22.08.2025 को वाद में आदेश एवं प्राथमिक डिक्री जारी की गई। जिसकी पालना में तहसीलदार किशनगढ द्वारा दिनांक 11.11.2025 को बंटवारा प्रस्ताव पेश किया गया। बंटवारा प्रस्ताव पर वकील वादी ने निवेदन किया कि यदि वादग्रस्त भूमि का बंटवारा प्रस्ताव के अनुसार बंटवारा कर दिया जाता है तो वादीगण को कोई आपत्ति नहीं है।

हमारे द्वारा वकील वादी की बंटवारा प्रस्ताव पर बहस सुनी गई एवं तहसीलदार किशनगढ द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम उदयपुरखुर्द पटवार हल्का उदयपुर खुर्द तहसील किशनगढ स्थित भूमि खसरा संख्या 175 रकबा 1.4328 हैक्टेयर भूमि का मौका कमिश्नर तहसीलदार किशनगढ द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव के अनुसार अग्रलिखित तालिका के अनुसार बंटवारा किया जाता है, तहसीलदार रिपोर्ट एवं नजरी नक्शा अंतिम आदेश का भाग होगें तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी किया जावे।

| क्र.सं | नाम खातेदार | खसरा संख्या | रकबा हैक्टैयर में | किस्म | रंग |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | चांदमल पुत्र भंवरलाल हिस्सा पूर्ण जाति बागरिया सा. पुराना शहर किशनगढ राहिन पूर्ण खाता यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा किशनगढ खातेदार | 175/1 | 0.4746 | बंजर 01 | गुलाबी |
| | कुल किता 01 | | | कुल रकबा 0.4746 हैक्टैयर | |
| 2. | करणविजय सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह हिस्सा 1/2 प्रेम कंवर पत्नी राजेन्द्र सिंह हिस्सा 1/2 जाति बारेठ सा. देह खातेदार राहिन बैंक ऑफ बडौदा शाखा सिलोरा | 175/3 | 0.4746 | बंजर01 | नीला |
| | कुल किता 01 | | | कुल रकबा 0.4746 हैक्टैयर | |
| | सोरती देवी पत्नी नन्दा, रोहित | 175/2 | 0.4746 | बंजर01 | नारंगी |

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| मुकेश, सूरज पुत्रगण नन्दा एवं अमृता, रंगा, मैरी पुत्रिया नन्दा समस्त जाति बागरिया हिस्सा पूर्ण हि.ब. सा. पुराना शहर किशनगढ | | | | |
| कुल किता 01 | | | कुल रकबा 0.4746 हैक्टैयर | |

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षरों के खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़